जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना किरतपुर दिनॉक 13.11.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 408/24 धारा 115(2)/110/351(2)/352/117(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.11.2024 को वादिया ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. आकाश पुत्र रूप सिंह 2.सुशील पुत्र रूप सिंह 3. अंकुश पुत्र सुशील 4.दिव्यांस पुत्र सुशील निवासीगण ग्राम भरैकी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया व वादिया के परिवार के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डण्डो व लोहे की रोड से मारपीट की, जिससे वादिया के पति राजेन्द्र व पुत्री परीना मौके पर बेहोश हो गये तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 408/24 धारा 115(2)/110/351(2)/352/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 408/24 धारा 115(2)/110/351(2)/352/117(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त आकाश उर्फ अंकित पुत्र रूप सिंह निवासी ग्राम भरैकी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. आकाश उर्फ अंकित पुत्र रूप सिंह निवासी ग्राम भरैकी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री कुलदीप शर्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2.का0 1106 ईशू पंवार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3.का0 2119 मोहसीन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना चांदपुर दिनॉक 13.11.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 614/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 09.11.2024 को वादी श्री भास्कर गौड पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम रावटी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.ऋषिपाल पुत्र नन्हे 2. अंकुल पुत्र रामपाल 3. रोहित पुत्र हरिराम निवासीगण ग्राम मोहनपुर थाना बढरायूं जनपद अमरोहा द्वारा वादी की मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस (यूपी 15 सीयू 5921) को चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 614/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 13.11.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 614/24 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त ऋषिपाल पुत्र नन्हे निवासी ग्राम मोहनपुर थाना बछरायूं जनपद अमरोहा व एक बाल अपचारी अभियुक्त को चोरी गयी मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. ऋषिपाल पुत्र नन्हे निवासी ग्राम मोहनपुर थाना बछरायूं जनपद अमरोहा।
2. एक बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण–

1– चोरी की गयी मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस (यूपी 15 सीयू 5921)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 त्रिवेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 48 आदेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3.का0 2123 अंकुर कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

4.का0 506 देवेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांकः- 13.11.2024

सोशल मीडिया पर प्रसारित "बिजनौर में 03 दिन में 07 हत्याओं से मचा हडकंप" के संबंध में संक्षिप्त विवरण।

सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर **"बिजनौर में 03 दिन में 7 हत्याओं से मचा हडकंप"** के संबंध में अवगत करान है कि उक्त खबर में थाना कोतवाली शहर, नगीना, रेहड व शिवाला कलां की घटना दर्शायी गयी है। उपरोक्त थाना क्षेत्र में घटित घटनाओं में से थाना कोतवाली शहर, रेहड, शिवाला कलां की घटनाओं का खुलासा कर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा नगीना की घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित की गयी है, जिनका शीघ्र अनावरण किया जायेगा, जिसका विवरण निम्न है –

थाना शिवाला कलां – अवगत कराना है कि दिनांक 12.11.2024 को थाना शिवाला कलां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम युसुफा में दो पक्षो के मध्य कमेटी की किस्त जमा करने को लेकर विवाद व मारपीट हुई थी, जिसमें 50 वर्षीय बुजुर्ग की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में थाना शिवाला कलां पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 04 अभियुक्तगणो को हिरासत में लिया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

थाना रेहड - अवगत कराना है कि दिनांक 03.11.2024 को पति पत्नी में वैवाहिक मतभेद के कारण झगडा हुआ था, जिसमें लडकी ने अपने परिजनो को मौके पर बुला लिया था, जिसमें मायके पक्ष द्वारा ससुरालीजनो के साथ मारपीट की घटना कारित की गयी थी। मारपीट में दौरान मायके पक्ष द्वारा पत्नी की ननद के उपर गाडी चढा दी थी, जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गयी, जिसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में तत्काल थाना रेहड पर संसुगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आज दिनांक 13.11.2024 को घायल की उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग में सुसंगत धाराओं की वृद्धी की गयी है तथा 04 अभियुक्तगणों को हिरासत में लिया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कोतवाली शहर – अवगत कराना है कि दिनांक 10/11.11.2024 की रात्रि मे समय करीब 01.30 बजे पिता व पुत्र शराब के नशे में झगडा कर रहे थे, जिसमें पिता द्वारा अपने पुत्र को चाकू मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया था, जिसमें पुत्र की उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गयी । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

थाना कोतवाली शहर – अवगत कराना है कि दिनांक 10.11.2024 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात अभियुक्त द्वारा मौ0 मिर्दगान खस्सो में पति-पत्नी व बेटे की हत्या की घटना कारित की गयी थी । इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है । वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर 05 टीमों का गठन किया गया । आज दिनांक 13.11.2024 को उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

थाना नगीना – अवगत कराना है कि आज दिनांक 13.11.2024 को थाना नगीना क्षेत्रान्तर्गत फतेहपुर-कोटरा मार्ग पर मिले एक व्यक्ति का शव को कब्जे में लिया गया है । डॉग स्क्वायड व फॉरेसिंक टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किये गये है। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 13.11.2024**

स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.11.2024 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत मौ0 मिर्दगान खस्सो में एक बुजुर्ग दम्पति 1.मंसूर उर्फ भूरा पुत्र महबूब (उम्र करीब 60 वर्ष) व 2.जुबैदा पत्नी मंसूर (उम्र करीब 60 वर्ष) निवासीगण मौ0 मिर्दगान खस्सो थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के शव मिलने के सम्बंध में सूचना प्राप्त हुई । सूचना पर वरिष्ठ अधिकारीगण स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट, डॉग स्कवॉयड टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे । बाद में घर के अन्दर से इनके पुत्र याकूब का भी शव मिला था । पुलिस द्वारा शवों का पोस्टमार्टम कराया गया । घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 05 टीमों का गठन किया गया । पुलिस द्वारा घटनास्थल से चाकू, पेंचकस व ईंट बरामद की गयी ।

घटना के सम्बंध में वादी श्री गुलाम नबी पुत्र श्री महबूब निवासी मौ0 मिर्दगान खस्सो थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1062/24 धारा 103(1) / 3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त नाजिम उर्फ नाजू पुत्र सलीम निवासी मौ0 मिर्दगान खस्सो थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 13.11.2024 को स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त नाजिम उर्फ नाजू पुत्र सलीम निवासी मौ0 मिर्दगान खस्सो थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशादेही पर अभियुक्त के घर से अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहनी हुई पेन्ट शर्ट व चप्पल बरामद की गयी । घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल घटनास्थल से ही बरामद किया जा चुका है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त नाजिम उर्फ नाजू से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 10.11.2024 की रात्रि में पडोस में ही बज रहे डीजे पर डांस को लेकर नाजिम उपरोक्त की मृतक याकूब से धक्का मुक्की हुई थी । जब डीजे बन्द हो गया तो उसके बाद दोनो बाहर आ गये तथा दोनो ने फ्ल्यूड से नशा किया । नशे में याकूब ने कहा कि उसके पास चोरी का सोना है । सोना चोरी के लालच में नाजिम उर्फ नाजू, याकूब के घर चला गया । अभियुक्त ने बताया कि घर पहुंचने पर याकूब के पिता मन्सूर ने दरवाजा खोला था, जो नशे की हालत में था तथा दरवाजा खोलने के बाद मन्सूर जाकर सो गया, इन दोनो ने घर में बैठकर खाना खाया तथा याकूब सो गया । याकूब के सो जाने के बाद अभियुक्त ने बाहर आकर कमरे का हैण्डल चढा दिया । चुँकि याकूब के पिता नशे में थे, इसलिये अभियुक्त ने पहले चाकू से याकूब की माँ की हत्या की तथा इसके बाद याकूब के पिता मन्सूर उर्फ भूरा की पेंचकस व चाकू से हत्या कर दी । इसके बाद अभियुक्त ने कमरे का दरवाजा खोला

तथा याकूब के सिर पर ईंट मारी तथा गला चाकू से काट दिया। तीनों की हत्या करने के बाद नाजिम उर्फ नाजू ने घर की तलाशी ली तो उसे किसी तरह का सोना व अन्य चीजें नही मिली। इसके पश्चात अभियुक्त दीवार फांदकर घर से बाहर आया। बाहर आकर दोबारा नशा किया तथा उन्ही कपडों में अपने घर चला गया।

अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहनी शर्ट को अभियुक्त की बहन द्वारा धोया गया था, जिसको फील्ड यूनिट द्वारा केमिकल्स के माध्यम से चेक करने पर अभियुक्त द्वारा पहनी गयी शर्ट एवं चप्पलों पर रक्त होने की पुष्टि हुई। अभियुक्त की बहन ने भी अपने कथनों में इस बात का समर्थन किया है कि जब नाजिम घर आया था तो उसके कपडों पर खून लगा हुआ था। अभियुक्त नाजिम की जब घर पर याकूब से झडप हुई थी तो नाजिम की शर्ट का एक बटन टूट गया था, जो घटनास्थल से बरामद हुआ है। अन्य नामित अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता नही पायी जा रही है। मृतक मन्सूर उर्फ भूरा व याकूब भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे, जिनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नाजिम उर्फ नाजू पुत्र सलीम निवासी मौ0 मिर्दगान खस्सो थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

अभियुक्त की निशादेही पर अभियुक्त के घर से अभियुक्त द्वारा घटना में पहनी हुयी पेन्ट शर्ट, चप्पल व घटनास्थल से अभियुक्त की शर्ट का बटन

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 444/2020 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 571/2024 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 1062/2024 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम
स्वाट / सर्विलांस टीम